भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1868
(11 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत कर्नाटक को निधि आवंटन

1868. श्री यदुवीर वाडियार:
क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत राज्यवार विशेषकर कर्नाटक राज्य में कुल कितनी निधियां आबंटित की गई हैं;

(ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत हुंसुर, पेरियापटना और चामुंडेश्वरी तालुकों जैसे मैसूर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क परियोजनाओं की स्थिति क्या है;

(ग) कोडागु के पहाड़ी क्षेत्रों में ग्रामीण सड़कों के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) क्या सरकार की पीएमजीएसवाई के अंतर्गत कोडागु के सुदूर गांवों के अंतिम घर तक संपर्क में सुधार करने की कोई योजना है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) पीएमजीएसवाई के तहत मंत्रालय द्वारा जारी कुल केंद्रीय अंश की निधियों का ब्यौरा , प्रारंभ से (06.03.2025 की स्थिति के अनुसार), कर्नाटक सहित राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख) पीएमजीएसवाई के तहत स्वीकृत , पूर्ण तथा शेष सड़क कार्यों का जिला -वार विवरण कार्यक्रम वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट का विवरण नीचे दिया गया है:-

Omms.nic.in → progress monitoring →physical progress → road wise list of projects

(ग) पीएमजीएसवाई के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का रखरखाव राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की जिम्मेदारी है। मंत्रालय ने कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित सड़कों के रखरखाव के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कों को 5 वर्ष के रखरखाव अनुबंध

के अंतर्गत शामिल किया जाता है , जो मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) के अनुसार उसी ठेकेदार को निर्माण अनुबंध के साथ किया जाता है। चूंकि पीएमजीएसवाई सड़कों की डिजाइन अवधि दस वर्ष है , इसलिए राज्यों को पांच वर्ष तक रखरखाव का कार्य करना होगा। पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित सड़कों के रखरखाव पर जोर देने के लिए राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मंत्रालय ने दोष दायित्व अवधि के दौरान ठेकेदार को रखरखाव भुगतान के लिए ई -मार्ग सॉफ्टवेयर मॉड्यूल भी लागू किया है। ई-मार्ग के पांच वर्ष के बाद के निर्माण मॉड्यूल में आवश्यकतानुसार प्रारंभिक पुनरूद्धार, नवीकरण, नवीकरण-पूर्व नियमित रखरखाव , नवीकरण-के बाद रखरखाव और आपातकालीन मरम्मत कार्य शामिल हैं। अनुबंध की पूर्ति के लिए रखरखाव निधि का बजट राज्य सरकारों द्वारा तैयार किया जाना आवश्यक है तथा इसे राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसियों (एसआरआरडीए) के पास एक अलग रखरखाव खाते में रखा जाना आवश्यक है। निर्माण के बाद 5 वर्ष की रखरखाव अवधि समाप्त होने पर , पीएमजीएसवाई सड़कों को क्षेत्रीय रखरखाव अनुबंधों के तहत रखा जाना आवश्यक है , जिसमें समय-समय पर चक्रानुसार नवीनीकरण सहित 5 वर्ष का रखरखाव शामिल है।

कोडागु जिले में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत स्वीकृत कार्य निम्नानुसार हैं:

पीएमजीएसवाई	स्वीकृत		पूर्ण किए गए	
	सं.	**लम्बाई किलोमीटर में**	**सं.**	**लम्बाई किलोमीटर में**
I	47	169.90	47	169.90
II	8	40.07	8	40.11
III	13	83.84	13	82.95
कुल	**68**	**293.81**	**68**	**292.96**

राज्य ने सूचित किया है कि इन सड़कों का उचित रखरखाव किया जा रहा है।

(घ) कर्नाटक के कोडागु जिले में कुल 12 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) की बस्तियों को प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के तहत सड़क संपर्क को मंजूरी दी गई है , इन सड़कों को 11.84 करोड़ रुपये की लागत से 13.19 किलोमीटर लंबाई के लिए स्वीकृति दी गई है। इस नई पहल का उद्देश्य इन क्षेत्रों को बारहमासी सड़क संपर्कता प्रदान करना है , जिससे उनका सामाजिक-आर्थिक विकास होगा।

इसके अलावा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर, 2024 को वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना -IV (पीएमजीएसवाई-IV) के कार्यान्वयन का

अनुमोदन दे दिया है। पीएमजीएसवाई-IV का उद्देश्य 2011 की जनगणना के अनुसार मैदानी इलाकों में 500+, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों में 250+, विशेष श्रेणी क्षेत्रों (आदिवासी अनुसूची V, आकांक्षी जिले /ब्लॉक, रेगिस्तानी क्षेत्र) में और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 100+ आबादी वाले पात्र 25,000 सड़क संपर्कविहीन बस्तियों को नई सड़क संपर्कता प्रदान करना है। इस योजना का परिव्यय 70,125 करोड़ रुपये है। दिशानिर्देश सभी राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दिए गए हैं और केन्द्र सरकार योजना के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए राज्यों को आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है।

***

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 11.03.2025 को उत्तर दिये जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1868 के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत प्रारंभ से अब तक जारी कुल केंद्रीय निधि राज्य-वार

(रु. करोड़ में)

क्र सं	राज्य	जारी केंद्रीय निधि
1	अंडमान और निकोबार	38.66
2	आंध्र प्रदेश	6699.59
3	अरुणाचल प्रदेश	9453.91
4	असम	19672.44
5	बिहार	26533.72
6	छत्तीसगढ़	12566.37
7	गोवा	10.15
8	गुजरात	3844.18
9	हरियाणा	2513.05
10	हिमाचल प्रदेश	7672.98
11	जम्मू एवं कश्मीर	12467.19
12	झारखंड	9190.79
13	कर्नाटक	6082.81
14	केरल	1872.25
15	मध्य प्रदेश	24983.35
16	महाराष्ट्र	9236.22
17	मणिपुर	4535.20
18	मेघालय	2830.74
19	मिजोरम	2474.97
20	नागालैंड	1441.01
21	ओडिशा	24612.71
22	पुदुचेरी	36.65
23	पंजाब	3791.51

24	राजस्थान	14233.08
25	सिक्किम	2308.20
26	तमिलनाडु	6497.62
27	त्रिपुरा	3511.89
28	तेलंगाना	1763.08
29	उत्तर प्रदेश	21958.62
30	उत्तराखंड	9319.82
31	पश्चिम बंगाल	12627.34
32	लद्दाख	374.91
कुल		**265155.00**